न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 172 / 2026
सालिमपुर थाना कांड संख्या 30 / 2026
अंतर्गत धारा 115(2), 117(2), 109, 126(2), 190, 191(2), 3(5) बी0एन0एस0

12.03.2026 याचिकाकर्ता–1. उमाशंकर शर्मा की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दिनांक 18.02.2026 को अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। अंतर्गत धारा–115(2), 117(2), 109, 126(2), 190, 191(2), 3(5) बीएनएस है जोकि सालिमपुर थाना कांड संख्या 30 / 2026, दिनांक 28.01.2026, जिसमें आवेदक एक नामजद अभियुक्त है तथा इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया गया है।

अग्रिम जमानत याचिका पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश तथा अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रचालित करते हुए यह निवेदन किया है कि आवेदक की ओर से सत्र न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पूर्व में न तो कोई अग्रिम जमानत याचिका और न ही कोई नियमित जमानत याचिका दाखिल किया गया है। आवेदक निर्दोष हैं, इनका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। जैसा आरोप लगाया गया है, वैसी कोई घटना नहीं हुआ है। आवेदक 73 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति हैं, इनके विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। सभी जख्मियों के जख्म की प्रकृति साधारण है। अन्य सह–अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ दिया गया है। इस वाद में आवेदक के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक को जमानत पाने का हकदार है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, आवेदक की ओर से जमानत की प्रार्थना करते हैं।

अपर लोक अभियोजक उपरोक्त अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हैं।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि इस वाद के सूचक–अरूण शर्मा के जमीन पर उनके पड़ोसी उमाशंकर शर्मा एवं कृष्ण मुरारी कुमार अपने घर का छज्जा निकाल रहे थे जिससे उनलोगों ने मना किया, मना करने पर लाठी–डंडे से मुदालय लोग सूचक एवं उनके परिवार पर हमला कर दिए जिससे सूचक के बेटे–राजू कुमार का सिर फट गया। बीच–बचाव करने उनकी पत्नी–उषा देवी आई तो उसका भी सर फोड़ दिया।

कांड दैनिकी के कंडिका–5, 6 एवं 8 में क्रमशः साक्षी–डैजी देवी, कृष्णनंदन शर्मा एवं शशी कुमार का ब्यान है जिसमें उनका कहना है कि जमीन में छज्जा निकालने को लेकर मार–पीट हुआ जिसमें सूचक, उसकी पत्नी और पुत्र घायल हो गए। कंडिका–37 में जख्मियों का जख्म–प्रतिवेदन है जिसमें सभी जख्मियों के जख्म की प्रकृति साधारण पाई गई है तथा कंडिका–33 के अनुसार आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक एक वृद्ध व्यक्ति है, इनके विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। अन्य सह– अभियुक्त को जमानत का लाभ विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया है।

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 172 / 2026
सालिमपुर थाना कांड संख्या 30 / 2026
अंतर्गत धारा 115(2), 117(2), 109, 126(2), 190, 191(2), 3(5) बी0एन0एस0

लगातार

12.03.2026

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं जख्म की प्रकृति को देखते हुए आवेदक अभियुक्त–उमाशंकर शर्मा को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः, प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करते हुए आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर आवेदक के आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0 10,000 (दस हजार) रुपये के समतुल्य राशि के दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र दाखिल करने के उपरांत ध ाारा 482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शर्तों के अधीन याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत पर **मुक्त** करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित / शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़।